



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 554/15/2009/चयन

इन्दौर, दिनांक 15 JUN 2020

अतिरिक्त चयन परिणाम

पदनाम - प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

(माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 8543/2011 (एस) डॉ. (श्रीमती) समता जैन विरुद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य में अंतिम निर्णय दिनांक 25/02/2020 को पारित निर्णय के परिपालन में)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/चयन/2009 दिनांक 19.01.2009 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 01/01/चयन/2009/19.01.2009/22.01.2009 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्राध्यापक, अर्थशास्त्र के कुल 43 पदों के विरुद्ध दिनांक 20.09.2011 से 24.09.2011 तक अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किये गये थे साक्षात्कार उपरांत चयन परिणाम क्रमांक 663/15/2009/चयन दिनांक 27.09.2011 के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 27.09.2011 को घोषित चयन परिणाम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन रहे अभ्यर्थी के चयन परिणाम रोके गये थे।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8543/2011 (एस) में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.05.2011 के परिपालन में याचिकाकार अभ्यर्थी डॉ. (श्रीमती) समता जैन, रोल न. 150 (अनारक्षित) को प्रावधिक रूप से सम्मिलित किया जाकर इनका साक्षात्कार दिनांक 22.09.2011 को लिया जाकर अंतिम चयन परिणाम मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रखा जाकर रोका गया है।

3/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8543/2011 (एस) में पारित अंतिम आदेश दिनांक 25.02.2020 के परिपालन में दिनांक 27.09.2011 को घोषित चयन परिणाम के आधार पर याचिकाकार डॉ. (श्रीमती) समता जैन का अतिरिक्त चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:-

मुख्य सूची

स.क	रोल नम्बर	लिंग	नाम	श्रेणी	चयन की स्थिति व मुख्य सूची में वरिष्ठता क्रमांक
1	150	F	डॉ. (श्रीमती) समता जैन	अनारक्षित	दिनांक 27.09.2011 को जारी चयन परिणाम में निर्धारित वरिष्ठता सरल क्रमांक 08 पर उल्लेखित डॉ. श्रीमती रीता जायसवाल रोल. न. 49 के बाद स.क. 08 'ए' पर डॉ. (श्रीमती) समता जैन की वरिष्ठता संस्थित की जाती है।

टीप :-

- “चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई तकनीकी कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।”

(संघमित्रा गौतम)
प्रमारी सचिव

12-06-2020